संख्या:61/2022/2173685/12-2099/108/2022

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 16 अगस्त, 2022

विषय: प्रदेश की प्रमुख फसलों के आच्छादन तथा उपज के सही आंकलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन एवं उपज के सही-सही अनुमान का आंकलन किए जाने हेतु जनपद में कार्यरत अधिकारियों को पड़ताल तथा क्राप-कटिंग प्रयोगों का कटाई स्तर पर स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराने के निर्देश समय-समय पर दिये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा प्रत्येक मौसम यथा खरीफ/रबी एवं जायद में फसलों की पड़ताल की जाती है। पड़ताल से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि फसलों की पड़ताल सही-सही करायी जाये ताकि फसलों के क्षेत्रफल का आंकलन सही प्रकार किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि जनपद स्तर पर फसलों के पड़ताल की जनपदीय अधिकारियों से अधिक से अधिक पर्यवेक्षण तथा जांच कराई जाए तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाय।

3. यह भी आवश्यक होगा कि फसल कटाई के प्रयोगों की समय से विस्तृत रूप-रेखा तैयार की जाय एवं उसके अनुरूप कार्य किया जाए। फसलों की उपज के अनुमानों का आंकलन उन पर आयोजित फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। इन प्रयोगों के गुणात्मक सम्पादन से ही उपज का सही अनुमान आंकलित किया जा सकेगा तथा प्रदेश में फसलों के उत्पादन का सही अनुमान आंकलित करना सम्भव हो सकेगा। फसलों की उपज के अनुमान के आधार पर प्रदेश में संचालित फसल बीमा योजनाओं के अन्तर्गत बीमित कृषकों की फसलों की क्षति का आंकलन करते हुए क्षतिपूर्ति प्रदान की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जाती है, इसलिए फसलों के उपज के अनुमान का सही आंकलन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु जनपदीय अधिकारियों से फसल कटाई प्रयोगों का अधिक से अधिक संख्या में निरीक्षण कराना अति आवश्यक है। साथ ही इस कार्य की प्रगति की समीक्षा भी जिलाधिकारी तथा उप जिलाधिकारी स्तर से समय-समय पर किया जाना आवश्यक होगा।

4. प्रदेश तथा भारत सरकार द्वारा फसलों के आच्छादन, उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनायें चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी रणनीति बनाना तभी सम्भव हो सकेगा जब फसलों के आच्छादन की सही-सही पड़ताल करते हुए क्षेत्रफल का आंकलन किया जाये तथा फसलों पर सही-सही फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन कराते हुए उपज के सही अनुमान आंकलित किए जायें।

5. अतएव अपेक्षा है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जनपद स्तर पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए समय से सही-सही पड़ताल तथा फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:61/2022/2173685(1)/12-2099/108/2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।